राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1097/2023

लाड खमार —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.03.2023
आदेश की दिनांक : 04.04.2023
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापिका के पद पर हुई थी। अपीलार्थी के द्वारा अपने स्थानान्तरण के संबंध में दिनांक 26.04.2022 को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या—3 को प्रस्तुत किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 29.07.2022 (अनुलग्नक—1) द्वारा पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलार्थी वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपरेडा ब्लॉक बनेडा जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित है। अपीलार्थी के पति भी शिक्षा विभाग में भीलवाड़ा में पदस्थापित है। अपीलार्थी के छोटी पुत्री है, जिसकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी ने अपना स्थानान्तरण भीलवाडा शहर में करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी ने पूर्व में भी एक आन लाईन प्रार्थना पत्र दिया था उसका भी निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील संख्या 1243/2022 उनवान एस.के. नौशाद रहमान बनाम भारत संघ में निर्णय पारित किया गया है कि स्थानान्तरण के संबंध में अपने कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य